



नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ (जिला स्थापना शाखा)



संचिका संख्या/ पत्रांक 1506/स्था0,

दिनांक 18/09/2017

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा।

सेवा में,

निदेशक,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
नालन्दा।

विषय :- कार्यपालक सहायक उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 1858/जि0ग्रा0 दिनांक 07.09.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रसांगिक पत्र से लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के क्रियान्वयन हेतु तीन कार्यपालक सहायक की अधियाचना की गई है। उक्त अधियाचना के आलोक में जिला में संधारित कार्यपालक सहायक के पैनल से रोस्टर बिन्दु के अनुसार निम्नांकित कार्यपालक सहायक का नाम अग्रेतर कार्रवाई हेतु निम्न प्रकार भेजा जाता है :-

| क्र0 | रोस्टर बिन्दु | आरक्षण कोटि | कार्यपालक सहायक का नाम | अभ्यर्थी का कोटि | पिता का नाम | जन्म तिथि | स्थायी पता | मोबाईल नं0 |
|------|---------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|------------|--|-------------|
| 1 | 575 | अनारक्षित | श्री श्रवण कुमार | पि0व0 | रामजी प्रसाद | 10.01.1985 | ग्राम-काको बिगहा, पो0- मघड़ा थाना- दीपनगर जिला- नालन्दा | 9534749998 |
| 2 | 576 | अ0पि0व0 महिला | श्री सौरव कुमार | पि0व0 | मुन्ना प्रसाद | 12.12.1995 | मे0- कटहल टोला, पो0+थाना- सोहसराय जिला- नालन्दा | 970 9593831 |
| 3 | 577 | अनारक्षित | श्री निरंजन कुमार | पि0व0 | मिथलेश प्रसाद | 15.01.1993 | मो0-बरुणतल, मेनरोड, पो0+थाना- हिलसा जिला- नालन्दा | 8409877464 |

अतः निम्नांकित शर्तों के अनुसार उपरोक्त कार्यपालक सहायक का नियोजन पत्र अपने स्तर से निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

- उपरोक्त नियोजित कार्यपालक सहायक को प्रति माह 11345/- (ग्यारह हजार तीन सौ पैतालिस) रुपये मानदेय के रूप में भुगतान किया जाएगा। कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
- नियोजित कार्यपालक सहायक को अपने साथ निम्नलिखित कम्प्यूटर हार्डवेयर लाना होगा।
क. डेस्क टॉप
ख. एक प्रिंटर
ग. एक यू0 पी0 एस0
घ. इन्टरनेट कनेक्शन हेतु डाटा कार्ड
- कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
- यह नियोजन अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए अथवा यदि विभाग के द्वारा पहले समाप्त किया जाता है तब उस अवधि के लिए होगी एवं आवश्यकतानुसार बढ़ायी जा सकेगी। नियोजित कार्यपालक सहायक द्वारा किये गये कार्यों का मोनिटरिंग के पश्चात् कार्य असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में बिना कारण बताये संविदा रद्द कर दी जायेगी।
- नियोजित कार्यपालक सहायक द्वारा नियोजित पद से त्याग करने की स्थिति में उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी। निर्धारित समय के अन्दर पद त्याग करने की स्थिति में त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी, अथवा एक माह का मानदेय भुगतान रोक ली जायेगी।

ई-मेल :- dm-nalanda.bih@nic.in
दूरभाष सं0 :- 06112-235204(R), 235203(O)

फैक्स सं0 :- 06112-235205(R), 236854(O)
जिला वेबसाईट :- http://nalanda.bih.nic.in



नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ
(जिला स्थापना शाखा)



संचिका संख्या / पत्रांक / स्था०,

दिनांक / 2017

6. संविदा पर नियोजित कार्यपालक सहायक का सरकारी सेवा हेतु किसी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
7. योगदान के साथ असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दो फोटो तथा नियोजन की शर्त को मानने संबंधी एकरारनामा अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करना होगा।
8. शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र संबंधित संस्थान/कार्यालय से सत्यापन कराने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
9. नियोजित कार्यपालक सहायक को पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में योगदान देना होगा, अन्यथा उनकी संविदा रद्द कर दी जायेगी।
10. नियोजन अवधि पूर्ण होने से एक माह पूर्व संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा नियोजित कार्यपालक सहायक का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं कार्य अवधि विस्तार की अनुशंसा किये जाने पर संबंधित कार्यालय/विभाग के सक्षम पदाधिकारी द्वारा संविदा विस्तार की कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन,

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा।

नालन्दा समाहणालय, बिहारशरीफ

(जिला स्थापना शाखा)

संचिका संख्या -69-01/17 पत्रांक1018...../स्था0,

दिनांक20/09/2017

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा ।

सेवा में,

सहायक निदेशक,
खान एवं भूतत्व, नालन्दा ।

विषय :- कार्यपालक सहायक उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग :- आपके पत्रांक 1509 दिनांक 07.09.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रसांगिक पत्र से जिला खनन कार्यालय, नालन्दा में कार्यालय के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 02 (दो) कार्यपालक सहायक की अधियाचना की गई है । उक्त अधियाचना के आलोक में जिला में संधारित कार्यपालक सहायक के पैनल से रोस्टर बिन्दु के अनुसार निम्नांकित कार्यपालक सहायक का नाम अग्रेतर कार्रवाई हेतु निम्न प्रकार भेजा जाता है :-


| क्र0 | रोस्टर बिन्दु | आरक्षण कोटि | कार्यपालक सहायक का नाम | अभ्यर्थी का कोटि | पिता का नाम | जन्म तिथि | आवसीय पता | मोबाईल नं0 |
|------|---------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| 1 | 578 | अनु0 जाति महिला | ओम प्रकाश मेहता | पि0व0 | रामजी प्रसाद | 10.12.1983 | मो0- भैसासुर, शिव प्रेस के निकट, पो0+थाना- बिहारशरीफ जिला- नालन्दा | 9279323201 |
| 2 | 579 | अनारक्षित महिला | राजेश कुमार | पि0व0 | शिवनन्दन प्रसाद | 04.11.1992 | ग्राम+पो0- नेरूत थाना- सारे, प्रखण्ड- अस्थावाँ जिला- नालन्दा | 9204296590 |

अतः निम्नांकित शर्तों के अनुसार उपरोक्त कार्यपालक सहायक का नियोजन पत्र अपने स्तर से निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे ।

- उपरोक्त नियोजित कार्यपालक सहायक को प्रति माह 11345/- (ग्यारह हजार तीन सौ पैतालीस) रुपये मानदेय के रूप में भुगतान किया जाएगा । कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी ।
- नियोजित कार्यपालक सहायक को अपने साथ निम्नलिखित कम्प्यूटर हार्डवेयर लाना होगा ।
क - डेस्क टॉप, ख- एक प्रिंटर,
ग- एक यू0 पी0 एस0, घ- इन्टरनेट कनेक्शन हेतु डाटा कार्ड
- कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी ।
- यह नियोजन अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए अथवा यदि विभाग के द्वारा पहले समाप्त किया जाता है तब उस अवधि के लिए होगी एवं आवश्यकतानुसार बढ़ायी जा सकेगी । नियोजित कार्यपालक सहायकों द्वारा किये गये कार्यों का मोनिटरिंग के पश्चात कार्य असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में बिना कारण बताये संविदा रद्द कर दिया जाएगा ।
- नियोजित कार्यपालक सहायकों द्वारा नियोजित पद से त्याग करने की स्थिति में उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी। निर्धारित समय के अन्दर पद त्याग करने की स्थिति में त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी, अथवा एक माह का मानदेय भुगतान रोक ली जायेगी ।

6. संविदा पर नियोजित कार्यपालक सहायक का सरकारी सेवा हेतु किसी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
7. योगदान के साथ असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र दो फोटो तथा नियोजन की शर्त को मानने संबंधी एकरारनामा पदस्थापित कार्यालय में समर्पित करना होगा।
8. शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र पदस्थापित कार्यालय द्वारा संबंधित संस्थान/कार्यालय से सत्यापन कराने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
9. नियोजित कार्यपालक सहायक को पत्र प्राप्ति के साथ अविलम्ब योगदान देना होगा। अन्यथा उनकी संविदा रद्द कर दी जायेगी।
10. नियोजन अविध पूर्ण होने से एक माह पूर्व संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा नियोजित कार्यपालक सहायक का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं कार्य अवधि विस्तार की अनुशंसा किये जाने पर संबंधित कार्यालय/विभाग के सक्षम पदाधिकारी द्वारा संविदा विस्तार की कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन



जिला पदाधिकारी,

नालन्दा।